रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2015/श्रावण 7, 1937
No. 479] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2015/SHRAVANA 7, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 592(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2015 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 में, नियम 7 में, उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"परंतु यह भी कि इन नियमों के अधीन 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात जमा की गई राशि की दशा में, इस पर जमा की तारीख से 9.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलेगा।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने अपने तारीख 11-11-2011 के का.ज्ञा. सं. 6-1/2011-एनएस.II (पार्ट), द्वारा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) की व्यापक समीक्षा के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सूचना सभी संबंधितों को दे दी गई है। तदनुसार, वित्त वर्ष

2015-16 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के तहत जमा की गई राशियों पर 1 अप्रैल, 2015 से संशोधित ब्याज दरें 31-3-2015 के का.ज्ञा. 6-1/2011एनएस-II द्वारा सूचित कर दी गई हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी जमाकर्ता पर अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II]

डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

नोट : वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 भारत के राजपत्र (असाधारण) में तारीख 2 अगस्त, 2004 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ), और तदुपरांत तारीख 27 अक्टूबर, 2004 को सा.का.नि. 706(अ), तारीख 23 मार्च, 2006 को सा.का.नि. 176 (अ), तारीख 24 मई, 2007 को सा.का.नि. 390(अ), तारीख 28 जुलाई, 2010 को सा.का.नि 639(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2011 को सा.का.नि. 770(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 को सा.का.नि. 321(अ), तारीख 25 जून, 2013 को सा.का.नि. 402(अ), तारीख 13 मार्च, 2014 को सा.का.नि. 224(अ), और 11 जुलाई, 2014 को सा.का.नि. 492(अ), द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2015

G.S.R. 592(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2015.

2. In the Senior Citizen Savings Scheme Rules, 2004, in rule 7, in sub-rule (1), after the third provisio, following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in the case of a deposit made under these rules on or after the 1st day of April, 2015, it shall bear at the rate of 9.3 per cent. per annum from the date of deposit."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) *vide its O.M. No. 6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11th November, 2011* has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Fund (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2015-16 revised with effect from 1st April, 2015, have been *communicated vide its O.M. No. 6-1/2011-NS-II, dated the 31st March, 2015*. It is certified that the interests of no deposit holder shall be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011/NS-II]

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 490(E), dated the 2nd August, 2004 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 706(E), dated the 27th October, 2004, G.S.R. 176(E), dated the 23rd March, 2006, G.S.R. 390(E), dated the 24th May 2007, G.S.R. 639(E), dated the 28th July, 2010, G.S.R. 770(E), dated the 19th October, 2011, G.S.R. 321(E), dated the 25th April 2012, G.S.R. 402(E), dated the 25th June, 2013, G.S.R.224(E), dated the 13th March, 2014 and G.S.R. 492(E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 593(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सुकन्या समृद्धि खाता (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2015 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 में, नियम 7 में, उपनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु इन नियमों के अधीन 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात जमा की गई राशि की दशा में, इस पर जमा की तारीख से 9.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलेगा।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने अपने तारीख 11-11-2011 के का.ज्ञा.सं. 6-1/2011-एनएस.II(पार्ट), द्वारा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) की व्यापक समीक्षा के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सूचना सभी संबंधितों को दे दी गई है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के तहत जमा की गई राशियों पर 1 अप्रैल, 2015 से संशोधित ब्याज दरें 31-3-2015 के का.ज्ञा. 6-1/2011.एनएस-II द्वारा सूचित कर दी गई है। यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी जमाकर्ता पर अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II]

डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

नोट : सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 भारत के राजपत्र (असाधारण) में तारीख 2 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 863(अ) के जरिए प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2015

G.S.R. 593(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014.

1. (1) These rules may be called the Sukanya Samriddhi Account (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2015.

2. In the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014, in rule 7, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in the case of a deposit made under these rules on or after the 1st day of April, 2015, it shall bear at the rate of 9.2 per cent. per annum from the date of deposit."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division*) vide its O.M. No. 6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11th November, 2011* has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Fund (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2015-16 revised with effect from 1st April, 2015, have been *communicated vide its O.M. No. 6-01/2011-NS-II, dated the 31st March, 2015*. It is certified that the interests of no deposit holder shall be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011/NS-II]

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014 were published in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* notification number G.S.R. 863(E), dated the 2nd December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.